सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 79/प्रेसनोट/2021 13 फरवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सिधारी

फर्जी नम्बरो से वाट्सएप बनाकर लड़कियों व महिलाओं को अश्लिल बाते कर परेशान करने वाला अभियुक्त साईबर सेल के सहयोग से गिरफ्तार

दिनांक 11.2.2021 को जयप्रकाश तिवारी पुत्र रामबृक्ष तिवारी ग्राम गोपालपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर बाबत अभि0 दिग्विजय मौर्य पुत्र नरेन्द्र मौर्य सा0 देवखरी किसुनदासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ द्वारा अपने मो0 नं0 से उनके घर की महिलाओ के मोबाइल पर गंदे-गंदे मैसेज करना ह्वाटसेप काल कर अश्लील बाते करना तथा पुछने पर वादी व परिवार को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया जाता है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 25/21 धारा 504/506/509 भादविव 66 आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक सिधारी को सम्बन्धित अभियुक्त की गिफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक- 13.002.2021 को नि0अ0 अरिवन्द पाण्डये मय हमराह के साथ हाईडिल चौराहे पर थे कि जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि अभियोग उपरोक्त से संबंधित मुल्जिम दिग्विजय मौर्या नरौली चौराहे पर खड़ा है कही जाने के लिए साधन का इंताजर कर रहा है । इस सूचना पर निरीक्षक अपराध मय हमराह के साथ नरौली चौराहे की ओर रवाना हुए। नरौली चौराहे के थोड़ी दूर पहले ही गाड़ी रोककर मुखबीर खास के साथ पैदल ही चौराहे की ओर रवाना हुए कि चौराहे के निकट पश्चिम पटरी पर पेट्रौल पम्प के पास खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करके मुखबीर खास पीछे की ओर हट गया कि विवेचक मय हमराह पुलिस बल के प्रस्थान कर एक बारगी घेरकर खड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया नाम पता पुछने पर अपना नाम दिग्विजय मौर्य पुत्र नरेन्द्र मौर्य सा0 देवखरी किसुनदासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ बताया। नियमानुसार उसे उसका अपराध से अवगत कराकर समय11.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। पुछताछ करते हुए जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से दो अदद मोबाइल फोन बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै जयप्रकाश तिवारी के परिवारजनो को जानता हूँ। मुझे भरवनाथ चौराहे के पास मुर्गे की दुकान के पास से एक छोटा सैमसग फोन मिला जिसमे सिम न0 8858229745 लगा था। मुझे जयप्रकाश तिवारी के घर की महिला का न0 मालूम था मैने अपने पाये हुए छोटे वाले मोबाइल फोन के फोन न0 8858229745 का व्हाट्सअप अपलिकेशन बड़े वाले फोन ONE PLUS में डाउनलोड किया तथा उक्त महिला पर अश्लील मैसेज करता रहा कई बार दुसरे तरफ से मुझे डाटफटकार भी मिलती रही लेकिन तब मै अधिक जोर शोर से अश्लील व्हाट्सअप मैसेज करता रहा। चूकि मुझे मालूम था कि छोटा वाला फोन का मोबाइल न0 8858229745 मेरे नाम से नही है इसलिए अगर कभी ट्रैस भी होगा तो मै पकड़ा नही जाउगा । एक दिन मैने अपने दोनो फोन का न0 आपस मे चेंज कर दिया ।

मैसेज करते रहने के दौरान महिला ने मेरी शिकायत अपने घरवालो से कर दी तो उन्होने मुझे मैसेज के सहारे काफी डाट लगायी लेकिन मैने उसे भी नही छोड़ा और उसके साथ भी गाली गुप्ता धमकी आदि देता रहा। उनके घर की महिलाओ को तंग करने मे मुझे आनन्द आता था । ऐसे एक दिन मुझे मालूम हुआ कि जयप्रकाश तिवारी अपनी पुत्री का विवाह कप्तानगंज क्षेत्र मे तय कर रहे है तो मैने वहाँ का भी फोन न0 मालूम कर उन लोगो संग भी काफी गाली गुप्ता किया व शादी न करने का दबाव बनाया । मैने दोनो फोन के सिम की अदला बदली भी की थी और उसमे से एक सिम मेरे नाम पर था। इस लिए पकड़े जाने के भय से मैने पाये हुए फोन की सिम तोड़कर नष्ट कर दिया है ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 25/21 धारा 504/506/509 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना-सिधारी, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

दिग्विजय मौर्य पुत्र नरेन्द्र मौर्य सा0 देवखरी किसुनदासपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़

बरामदगी

1- फोन छोटा सिस्टम की पैड ब्रांड सैमसंग

2. एन्ड्रोयाड बड़ा फोन टच स्क्रीन ब्रांड ONEPLUS

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1-नि0अ0 अरविन्द कुमार पाण्डेय मय हमराह, थाना सिधारी आजमगढ़

2- आरक्षी मनीष कुमार सिंह, साईबर सेल, जनपद-आजमगढ़ ।